मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल</u>

क्रमांक : एफ 11/1/2009/नियम/चार भोपाल,दिनांक 26 अक्टूबर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों में जमा राशि राज्य के खाते में जमा करने बाबत् ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2009/नियम/चार , दिनांक 10-2-2009

=

ऐसे शासकीय कार्यालय जो शासकीय धन को आहरित कर बैंक खाते में जमा करते हैं, के द्वारा खोले गये बैंक खाते तुरंत बंद करने के निर्देश वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 10-2-2009 द्वारा जारी किये गये हैं । कतिपय अनुदान प्राप्त अर्धशासकीय संस्थाओं के द्वारा यह जानना चाहा है कि क्या उन्हें प्राप्त शासकीय धन को आहरित कर बैंक खाते में रखा जा सकता है?

2/ अतः स्पष्ट किया जाता है कि अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को आहरण कर बैंक खाते में रखा जाना वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 10-2-2009 के दायरे में नहीं आएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11/1/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-1/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 10 फरवरी, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों में जमा राशि राज्य के खाते में जमा करने बावत् ।

--00--

वित्त विभाग की जानकारी में यह तथ्य आया है कि बहुत से शासकीय कार्यालयों में वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक खाते खोलकर विभिन्न योजनाओं की कोषालयों से आहरित राशि जमा की जा रही है। इसके अतिरिक्त भू-अर्जन की राशि भी बैंक खातों में जमा की जा रही है । मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 9 और मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल आवश्यकता न होने पर भी राज्य की संचित निधि से इस प्रकार राशि आहरित करना पूर्णतः नियमों के विपरित है तथा वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम-6 के अनुसार शासकीय धन को कोषालय से आहरित कर अन्यत्र खाता खोलकर रखना स्पष्ट रूप से वर्जित है ।

2/ उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सभी विभाग दिनांक 28 फरवरी 2009 तक उक्त बैंक खाते बंद कर राशि शासकीय कोष में जमा करायें ।
2. ऐसे मामलों में जहां इस राशि की आगे भी निरतंर आवश्यकता हो वहाँ बैंक खातें से राशि निकालकर पी.डी. खातें में रखी जाए । यह पी.डी. खाते वित्त विभाग की सहमति से खोले जा सकते हैं ।
3. जो अधिकारी दिनांक 28 फरवरी 2009 तक बैंक खाते बंद नहीं करते हैं, उन पर खाते में जमा राशि के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाय ।

3/ समस्त विभागों से अपेक्षा है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक : एफ 11-1 /2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 10 फरवरी, 2009

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/आडिट-1/2) म.प्र. -ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र.
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, म.प्र.
4. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.

की ओर पालनार्थ ।

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

suma 3